भारत सरकार

वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं नार्कोटिक्स अकादमी, फरीदाबाद

<u>प्रेस विज्ञप्ति सह अनुसूची</u>

10 मई, 2019

नासिन द्वारा आयोजित होने वाली जी.एस.टी प्रैक्टिशनरों के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवँ नार्कोटिक्स अकादमी (नासिन) को अधिसूचना सं० 24/2018- केन्द्रीय कर दिनांक 28.05.2018 के तहत् केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विनियम, 2017 के नियम 83 के उप-नियम(3) के अनुसार जी.एस.टी. प्रैक्टिशनरों (जी.एस.टी.पी.) के नामांकन के पुष्टिकरण हेतु परीक्षा आयोजित करवाने हेतु अधिकृत किया गया है।

नियम 83(2) के अधीन जी.एस.टी. नेटवर्क पर नामांकित और नियम 83(1)(ख) के अधीन आने वाले जी.एस.टी.पी, अर्थात जो सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनरों या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के तौर पर तत्कालीन कानून के अधीन कम से कम पांच वर्षों की नामांकन की पात्रता मापदंड को पूरा करते हों, उनको अधिसूचना सं० 03/2019- केन्द्रीय कर दिनांक 29.01.2019 के तहत्, उक्त परीक्षा को **31.12.2019** से पहले उत्तीर्ण करना अपेक्षित है। ऐसे जी.एस.टी.पी. हेतु दो ऐसी परीक्षाएँ 31.10.2018 एवं 17.12.2018 को पहले ही आयोजित की जा चुकी हैं ।

केन्द्रीय माल एवं सेवा कर विनियम, 2017 के नियम 83क के उप-नियम(3) के अनुसार, यह परीक्षा नासिन द्वारा एक वर्ष में दो बार संचालित की जाएगी। सेल्स टैक्स प्रैक्टिशनर या टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर वर्ग के अंतर्गत आनेवाले जी.एस.टी. प्रैक्टिशनरों हेतु वर्ष 2019 में अगली दो परीक्षाएं पूरे भारत के निर्धारित परीक्षा केन्द्रों पर दिनांक **14.06.2019** और दिनांक **12.12.2019** को प्रातः 11.00 बजे से दोपहर 1.30 बजे तक आयोजित की जाएंगी । **ऐसे अभ्यर्थियों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता हैं कि 12.12.2019 को आयोजित की जानेवाली परीक्षा में शामिल होने और उक्त परीक्षा को उत्तीर्ण करने का वह उनका अंतिम अवसर होगा, जिसमें असफल रहने पर अभ्यर्थियों को कोई अन्य अवसर नहीं दिया जाएगा ।**